

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 02 नवम्बर, 2017

विषय-


डी0बी0टी0 सम्बन्धित काम्प्रीहेन्सिव शासनादेश संख्या-1074/12-3-2017-100(61)/12टी.सी., दिनांक 25.10.2017 एवं शासनादेश संख्या-543/12-3-2017-100(61)/12टी.सी., दिनांक 26.05.2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक-एस.एफ./13705टी./डी0बी0टी0/ 2017-18, दिनांक 01.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन पंजीकृत कृषकों के द्वारा वर्तमान में अपनी सहमति प्रदान नहीं की जा रही है, उन कृषकों के नाम सूची से काटे नहीं जाएँगे। वे अगले वर्ष के लिए पात्र बने रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त कृषकों को कृषि यंत्रों हेतु अपनी सहमति देने के लिए 07 दिवस का समय और दिया जायेगा। उक्त व्यवस्था को शासनादेश संख्या-543/12-3-2017-100 (61)/12टी.सी., दिनांक 26.05.2017 एवं शासनादेश संख्या-1074/12-3-2017-100(61)/12टी.सी., दिनांक 25.10.2017 में सम्मिलित कर लिया जाय। शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

३- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,



( अमित मोहन प्रसाद )

प्रमुख सचिव।

सं0- (1)/12-3-17-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, गन्ना विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8- प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 9- प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 10- प्रमुख सचिव, दुग्ध विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 11- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 12- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2)

- 13- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 14- निजी सचिव, मा० कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग, उ०प्र० शासन।
- 15- ग्राम्य विकास आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
- 16- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 17- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 18- महानिदेशक, उपकार, उ०प्र० लखनऊ।
- 19- प्रबंध निदेशक, यू०पी० एग्रो, उ०प्र० लखनऊ।
- 20- प्रबंध निदेशक, पी०सी०एफ०, उ०प्र० लखनऊ।
- 21- प्रबंध निदेशक, बीज विकास निगम, उ०प्र० लखनऊ।
- 22- प्रबंध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो।
- 23- निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उ०प्र० लखनऊ।
- 24- निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
- 25- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
- 26- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को ई-मेल से तत्काल प्रेषित करते हुए इसे कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाय तथा 02 दिन के पश्चात इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर आवश्यक निर्देश दिये जायें।
- 27- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 28- समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ।
- 29- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ०प्र०।
- 30- समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ०प्र०।
- 31- समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उ०प्र०।
- 32- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ०प्र०।
- 33- समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उ०प्र०।
- 34- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी )  
विशेष सचिव।